पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पीठासीन अधिकारी कुमार/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक..17/10/23... को पेश हो 6

14 8/17

17 10/23 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पीठासीन अधिकारी कुमार/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक..21/12/23... को पेश हो 12

21 12/23 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पीठासीन अधिकारी कुमार/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक...26/3/24 ...को पेश हो 12

22 2/24 पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण। कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक...18/4/24 को पेश हो। 12

18 4/24 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पीठासीन अधिकारी कुमार/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक....11/6/24.... को पेश हो 5

11 6/24 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पीठासीन अधिकारी कुमार/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक....30/7/24 ...को पेश हो 2

30 7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पूर्व के अनेक आवेदन पेश करने हेतु काफी अवसर दिये जा चुके है। अतः अप्रार्थीगण का जवाब आवेदन बंद किया जाता है। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 298 व 309 कुल किता 2 कुल रकबा 5.2100 है0 वाके ग्राम किशनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमियां प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमियां है। वे संयुक्त शामलाती खातेदारी की है। जिनमें प्रार्थीगण की माता भंवरी देवी का देहान्त हो जाने के कारण उनका 1/18 हिस्सा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 4 व 5 व जगदीश के मौत हो

Shift 12

जाने के कारण उनके वारिसान अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 11 उनका हिस्सा वट जाने के कारण अप्रार्थी के पास हिस्से 1/18 की बजाय प्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/15 व प्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 1/15 अवस्थित है। अप्रार्थी संख्या 4 का हिस्सा 1/15, अप्रार्थी संख्या 5 का हिस्सा 1/15 व अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 11 का संयुक्त शामलाती हिस्सा 1/15 अवस्थित है। वर्णित कृषि भूमियां शामलाती खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमियां है। जिसका आज तक कोई किस्म व बाउण्डरी अस्तित्व रूप से बटवारा नहीं हुआ है। सुविधा के हिसाब से संयुक्त शामलाती काश्त करते है। तब अप्रार्थीगण को मरुस्थल के वर्णित कृषि भूमियों का विभाजन करने का कहा तो अप्रार्थीगण ने इंकार कर दिया तथा स्थानीय पंचायत में कि मरुस्थल के अच्छी जगह पर रास्ते के बाकी भूमि पर कब्जा कर अन्य व्यक्तियों को बराबर विभाजन मांगो बिना हिस्सेदार कर देंगे। इसप्रकार प्रार्थीगण का कब्जा दूसरों का नाजायज व सुविधा का मेहनत प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है। तथा अप्रार्थीगण क्षति भी प्रार्थी को ही होगी। इसलिए उभयपक्ष के तर्कों तथा मूलवाद के निस्तारण तक स्थायी निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता प्रार्थनीय है।

दौराने बहस वकील अप्रार्थी संख्या-3 अनुपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व 4 व 11 ने दौराने बहस आवेदन का जवाब पेश कर लंबी बहस हेतु निवेदन किया। निवेदन स्वीकार किया गया। दौराने बहस वकील अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4 व 11 ने निवेदन किया की वर्णित कृषि भूमियां संयुक्त व खातेदारी की पैतृक कृषि भूमियां है। जिनका कोई किस्म व बाउण्डरी बटवारा नहीं हुआ है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सुविधा के हिसाब से संयुक्त शामलाती काश्त करते है। अपने हक व हिस्से पर कब्जा काश्त है। इस प्रकार प्रार्थी के पक्ष में प्रबल दूसरों का नाजायज कब्जा की है सुविधा का मेहनत भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। तथा प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिए प्रार्थीगण का आवेदन अस्थाई धारा 212 RT Act स्वीकार किया जाना प्रार्थनीय है।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 298 व 309 कुल किता 2 कुल रकबा 5.2100 है0 वाके ग्राम किशनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित है। जो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की पैतृक कृषि भूमियां है। जिनमें प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से शामलाती काश्त करते है। वर्णित कृषि भूमियों का कोई किस्म व बाउण्डरी अस्तित्व बटवारा

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

अभिभाषक संघ, सीकर

नहीं फरवाया हुआ है। इसप्रकार उभय दृष्टया का मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही हो रही है। इसलिए न्यायालय प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RT Act स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझता है।

अतः आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RT Act स्वीकार किया जाता है। विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 298 व 309 कुल किता 2 कुल रकबा 5.2100 है। वाके ग्राम निगरावर तहसील धोद जिला सीकर के उलंघनकारान को बेचान न करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से तादौरान दावा / मूलवाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

यह फैसला आज दिनांक 30/7/2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर